Office of the District Collector Kangra at Dharmshala

No. / 51/DRA Dated 2) Sep 15.

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. It is certified that 00-01-50 hects of forest land proposed to be diverted in favour of I&PH Department for construction of **Water Tank** in Kangra Distt.falls within jurisdiction of Rakkar village in Dharmshala Tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 00-01-00 hecters of forest land proposed for Diversion. Copy of record of all Consultations and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha Sub Divisional Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to ----#----.
- (b) the proposal for such diversion (with full detail of the project and its implications, in vernacular/local) have been placed before (each) concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (c) the Rakkar Gram Sabha has certified that all formalities / process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent of the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha Rakkar enclosed as annexure...1
- (d) The discussion and decision on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present,
 - (e) The diversion of forest land and for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has been given their consent to it.
 - (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguard as per section 3(1) of the FRA.



(RiccheChanan, IAS Distance Bistrict Kangra at Dharmshala

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

दिनांक 27.8.2015 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006 के अर्न्तगत प्राप्त मामलों में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही ।

जिला स्तरीय समिती (अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006) की बैठक दिनांक 27.8.2015 को श्री रितेश चौहान, भा0प्र0से0 उपायुक्त कांगड़ा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । जिसमें सरकार द्वारा गठित समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया । (सूचि सलंग्न) वैठक में निम्नलिखित कार्य हेतू विभिन्न विभागों से उक्त एकट के अर्न्तगत प्रमाण पत्र जारी किये जाने बारे आवेदन प्राप्त हुऐ ।

1 अधिशाषी अभियन्ता धर्मशाला ने महाल वगियाड़ा में वाटर टैंक के निर्माण हेतू उक्त प्रमाण पत्र जारी करने हेतू आवेदन किया है ।

2 सहायक अधिशाषी अभियन्ता लो0नि0वि0 गगल ने लांझणी से नरघोटा सड़क के निर्माण हेतू आवेदन किया है ।

3 अधिशाषी अभियन्ता लो0नि0वि0 धर्मशाला ने लिंक रोड़ खिड़कू खडौता के निर्माण हेतू आवेदन किया है ।

4 अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्यय विभाग शाहपुर ने निरिक्षण हट के निर्माण हेतू आवेदन किया है

<u>5</u> अधिशाषी अभियन्ता उपरोकत धर्मशाला डिविजन ने महाल ब्रैह में वाटर स्टोरेज टैंक के निर्माण हेतू आवेदन किया है ।

<u>6</u> अधिशाषी अधिशाषी अभियन्ता धर्मशाला आई0 पी0 एच0 ने महाल रक्कड़ में वाटर टैंक के निर्माण हेतू आवेदन किया है ।

7 उक्त अधिकारी ने महाल नडडी में वाटर टैंक के निर्माण हेतू आवेदन किया है ।

अज दिनॉक 02/01/2015 प्रातः 11.00 बजे को कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना0) धर्मशाला में जनजाति एवं अन्य दूसरे वन अधिकारों पर प्रभाव ना पड़ने वारे संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत उपमण्डलीय स्तर कमेटी की बैठक श्री वलवीर ठाकुर उपमण्डलाधिकारी (ना0) धर्मशाला की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिस में निम्न लिखित मामलों की चर्चा की जानी है:-

- मैसर्ज के0पी0 हाईड्रो विधुत परियोजना तहसील धर्मशाला में परियोजना स्थापित करने हेत् महाल चकवन 1 करेरी मौजा करेरी के खसरा न0 95/2- 98/1-98/3-98/4-98/7-100/2--106/2-103/1-103/2-103/4-103/14-103/6-103/7-103/9-103/10-103/11-103/12-104/2-106/2-124/1-136/2-136/3 किंता 22 रकवा 0-00-00 हैक्ट. व महाल कुठारना के खसरा न0 1397/2-878/2-1426/13 96/2 किता 3 रकवा 0-28-95 हैक्ट व महाल चकवन धुली के खसरा न0 37/1-43/1-44/2-45/1 किला 4 रकवा 0-48-68 हैक्ट. व महाल काकड़ा के खसरा न0 110/1-161/3-162/1 किला 3 रकवा 0-19-84 हैक्ट कुल रकवा तीनों महाल 2-86-77 हैक्ट अर्जित की जाजी है
- महाल रक्कड मौजा सिद्धवाडी में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी का टैंक स्थापित करने हेतू 2 मलकीयती सरकार हि0 प्र0 कब्जा वन विभाग की भूमि न0 खसरा 1326/424 रकबा 0-01-50 है0 अर्जित की जानी है

3

महाल नड्डी में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी का शुद्धीकरण संयन्त्र स्थापित करने हेतू मलकीयती सरकार हि0 प्र0 कब्जा वज विभाग की भूमि रकबा 0-08-00 है0 अजिंत की जानी है महाल वरनेट मौजा धर्मशाला में हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग धर्मशाला को वरनेट से घेरा तक सड़क 4 निर्माण हेतू भूमि खसरा न0 1041/3-1041/4-816/3-820-1076/3-930-927/2-927/3 किता 8 रकवा 1-98-35 हैक्ट. अर्जित की जानी है। 5

महाल खड़ोता में ऑगन वाडी केन्द्र के निर्माण हेत् भूमि खसरा न0 1008/1 रकवा 0-03-80 हैक्ट अजिंत की जानी है। जिस में उपरोक्त मामलों पर चर्चा की गई तथा कोई भी अनापति बैठक में प्रस्तुत ना किया। तथा सर्व सम्मति से सभी मामलों को अनुमोदित किया गया।

क्रमॉब	<u>नाम पदाधिकारी</u>	नाम पद	हस्ताक्षर
1	वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मशाला	सदस्य	QuespR.
2	तहसीलदार धर्मशाला	सचिव एवं सदस्य	-512
3	श्रीमति सीमां देवी पत्नी श्री गगन कुमार गांव नरवाणा डा0घर योल तह0 धर्मशाला	सदस्या हिंद	mol
4	कु0 नीलम पुत्री प्यारे लाल गांव व डाकघर रक्कड तह0 धर्मशाला	सदस्या	D
5	श्री विक्रम सिहं पुत्र उज्जवल सिह गांव व डा0घर नागनपट तह0 धर्मश्राव्य हि0प0	सदस्य	Sel 2012/01/2015
6.	U. Jay Shawe AR HK Sub sons No. I D/sol	Стада 1945 Стада 1945	Raithanti (min)
7.	Rajed (RAJESH MONGRI AIE 18PH. Sul. Div. Dharamst	•	
1	Sub. Div. On		

अन्सचित जनजाति और अन्य परम्पलगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

वन अधिकार समिति गाम समा 20075 प्रतिलिपि प्रस्तान

प्रस्तान संख्या. 06

दनाक

anto 08-12-2014

Annexures

यन अधिकार समिति ग्राम समा 2014 4414 24-55 की बैठक आज दिनांक 08-12-2014

••••/-50 हैं जगल / वन क्षेत्र में (जिसमें 2.7.4) विगान हान W.W.S. RASAN-SiDH MAR Montel निर्माण के लिए 0-0/-6 वटेबोर चन मूमि के उप्पयोग की मंजूरी प्रसावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हतू प्रा-RAKKOR हुए गेंव वासियों के वन अधिवारों के आधेवनों पर वर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विरहत चर्चा के उपरान्त पन अधिकार समिति समा द्वारा जिस्म लिखित प्राज्ञ का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

के 0 स0 * भात्र गांच वासी यहा नाम

जगल का चाम

वन अधिकार का खाँस

तवानुसार यह यन अधिकार समिति इस वावे/ इन वाबों को पारित करने हेर्गू ग्राम लगा से इसकी - सिफारि,श करती है।

अपरोक्त में से निम्न लिखित पान्नों का दाया नियमानुसार सही नहीं पाया गंधा:-क0स0 * पान्न ग्राम वासी का नाम

ी वानानुसार ग्राम समा इ.स. याये/ इत्ते दायों को निएस्त करने की सिफारिश करती है।

वन क्षेत्र में कोई भी यह अधिका या दावां प्राप्त नहीं हुआ।

अधीकृत हस्ताकरफतां गाम समा

* गामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंनें इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कर्ज़ाम के उपयोग की अनुमति दी जानी है

175 200 tal yani - Minmla anotatu anniz - Kinduys. Gran Oldress Hitzzi anniz - Moliger Sirair 201 - Moliger Sirair 201 - Ame Devi Amu Sirair 201 - Ame Devi Amu Sirair 201 - Ame Devi Amu E 3 Ø 0 6)